UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 12.11.2024

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

वकील के घर लूट करने वाले 06 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

लूटे गये सोने के आभूषण, नकद रुपये व दो मोबाइल व 03 अवैध शस्त्र मय कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10.11.2024 को हुई लूट की घटना कारित करने वाले तीन बदमाशो को पुलिस मुठभेड़ में कब्जे सें 03 अवैध तमंचे ,02 खोखा कारतूस, 02 मिस कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक स्कार्पियों गाड़ी एवं लूटे हुये सोने के आभूषण व कैश तथा घटना में शामिल घर की नौकरानी सहित तीन अन्य बदमाशों सहित कुल 07 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 10.11.2024 को समय करीब 11.00 बजे थाना कोतवाली सदर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सुबह समय करीब 08.30 बजे थाना क्षेत्र के जेरखिड़की महोल्ला छिपायाना निवासी एडवोकेट सैय्यद कायमुल हसन जैदी पुत्र गुलामुन जैदी के यहां तीन अज्ञात लोग कलाइंट बनकर आये और कुछ समय उनसे वार्ता करने के बाद उपरोक्त अज्ञात तीनो लोगो द्वारा तमंचे के बल पर कैमुल उपरोक्त के घर से सोने के आभूषण, एटीएम कार्ड, 02 मोबाइल व लगभग 1,50000 रुपये कैश लूट लिये है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी, क्षेत्राधिकारी महोदया नगर मय थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। घटना उपरोक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 824/24 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत कर घटना कारित करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 11.11.2024 को समय करीब शाम 05.00 बजे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा करोवन मोड़ के पास चेकिंग की जा रही थी तभी स्कार्पियों सवार 05 अज्ञात लोगो द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर भागने का प्रयास किया गया, आत्मरक्षार्थ पुलिस मुठभेड़ में तीन बदमाश घायल हो गये है तथा अन्य बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। घायल तीनो बदमाशो को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। पूछताछ में अभियुक्तो द्वारा अपने नाम 01.रविंद्र कसाना पुत्र विनय पाल कसाना निवासी रामपुर फतेहपुर थाना दादरी जनपद गौतम बुध नगर उम्र 38 वर्ष 02.इरशाद सैफी पुत्र हाजी रसीद निवासी मल्लूपुरा थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता फटेलापुर रोड 60 फूटा हाजी का टावर वाला मकान हापुर चुंगी के पास मेरठ उम्र 42 वर्ष 03.मेराज पुत्र मोहम्मद जलील निवासी AB नगर डीएसएन कॉलेज के पास

थाना कोतवाली उन्नाव उम्र 24 वर्ष बताया गया। तीनो बदमाश अपने अन्य साथियों के साथ दिनांक 10.11.2024 को कोतवाली सदर क्षेत्रान्तर्गत महोल्ला छिपयाना में हुई लूट की घटना में शामिल थे। मौके से बदमाशो के पास से 02 तमंचा 12 बोर , 01 तमंचा 315 बोर , 02 खोखा कारतूस ,02 मिस कारतूस व लूटे हुये सोने के आभूषण (दो अदद गले का हार पीली धातु, दो अदद गले की चैन पीली धातु, दो अदद मोती की माला, एक अदद पैन्डल, एक अदद लाकेट सफेद धातु, एक अदद पैन्डल लगी हुई चैन सफेद धातु, 06 जोड़े कान के टप्स पीली धातु, 06 जोड़े टप्स सफेद धातु, एक अदद मांग का टीका पीली धातु) दो अदद पासपोर्ट व कैश 1,25,250/- रु0 तथा घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की स्कार्पियों गाड़ी सं0 UP16AP9001 बरामद किया गया तथा घर की नौकरानी ऑफरीन पुत्री जमील अहमद नि0 एबी नगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आफरीन से पूछताछ एवं बयानों के आधार पर तीन अन्य अभियुक्तों 1. रिंकू पुत्र गंजेन्द्र नि0 रामपुर फतेहपुर थाना दादरी जनपद गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 24 वर्ष 2. आदेश पुत्र राजेन्द्र नि0 चीरसी थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 21 वर्ष 3. नितिन भाटी पुत्र संतराम भाटी नि0 उपरोक्त उम्र करीब 32 वर्ष को लूटे गये दो मोबाइल बरामद कर गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि नितिन भाटी उपरोक्त की स्कार्पियो कार से अपने उपरोक्त सभी साथियों को लेकर उन्नाव आये थे तथा मेराज की प्रेमिका आफरीन उपरोक्त के साथ मिलकर इनकम टैक्स के वकील के घर पर लूट की योजना बनाई थी तथा दिनांक 10.11.2024 को लूट की घटना को अंजाम दिया था। उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01.रविंद्र कसाना पुत्र विनय पाल कसाना निवासी रामपुर फतेहपुर थाना दादरी जनपद गौतम बुध नगर उम्र 38 वर्ष
02.इरशाद सैफी पुत्र हाजी रसीद निवासी मल्लूपुरा थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता फटेलापुर रोड 60 फूटा हाजी का टावर वाला मकान हापुर चुंगी के पास मेरठ उम्र 42 वर्ष
03.मेराज पुत्र मोहम्मद जलील निवासी AB नगर डीएसएन कॉलेज के पास थाना कोतवाली उन्नाव उम्र 24 वर्ष
04.ऑफरीन पुत्री जमील अहमद नि0 एबी नगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष
05.रिंकू पुत्र गंजेन्द्र नि0 रामपुर फतेहपुर थाना दादरी जनपद गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 24 वर्ष
06. आदेश पुत्र राजेन्द्र नि0 चीरसी थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 21 वर्ष
07. नितिन भाटी पुत्र संतराम भाटी नि0 उपरोक्त उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी-

1.02 तमंचा 12 बोर , 01 तमंचा 315 बोर , 02 खोखा कारतूस ,02 मिस कारतूस
2.लूटे हुये सोने के आभूषण (दो अदद गले का हार पीली धातु, दो अदद गले की चैन पीली धातु, दो अदद मोती की माला, एक अदद पैन्डल, एक अदद लाकेट सफेद धातु, एक अदद पैन्डल लगी हुई चैन सफेद धातु, 06 जोड़े कान के टप्स पीली धातु, 06 जोड़े टप्स सफेद धातु, एक अदद मांग का टीका पीली धातु)

3.दो अदद पासपोर्ट व

4.कैश 1,25,250/- रु0

5.घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की स्कार्पियों गाड़ी सं0 UP16AP9001

6.लूटे गये दो अदद मोबाइल

आपराधिक इतिहास-

1—इरशाद सैफी पुत्र हाजी रशीद सैफी नि0 मलुपुरा थाना सिविल लाइन मुजफ्फरपुर (अम्बा कालोनी नजीमुल्ला की कोठी के पास कोतवाली नगर मुजफ्फरपुर)

1. मु0अ0सं0 442/17 धारा 120बी/342/395/412/506 भादवि थाना कोतवाली, रामपुर
2. मु0अ0सं0 442/17 धारा 395/412 भादवि थाना सिविल लाइन, रामपुर
3. मु0अ0सं0 628/17 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना सिविल लाइन, रामपुर
4. मु0अ0सं0 762/17 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना सिविल लाइन, रामपुर
5. मु0अ0सं0 115/19 धारा 392/411 थाना जारचा, ग्रेटर नोएडा

2—रविन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र विजय पाल सिंह नि0 रामपुर फतेहपुर थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर

1. मु0अ0सं0 824/18 धारा 201/302/34 भादवि थाना दादरी, ग्रेटर नोएडा
2. मु0अ0सं0 212/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट व 307 भादवि थाना हाथरस गेट, हाथरस

3—आदेश पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 ग्राम चीरसी थाना कासना ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)

1. मु0अ0सं0 12/23 धारा 4/24 आयुध अधि0 थाना कासना, ग्रेटर नोएडा
2. मु0अ0सं0 247/21 धारा 109/116/120बी/307/341/506 भादवि थाना कासना, ग्रेटर नोएडा
3. मु0अ0सं0 118/23 धारा 392/411 भादवि थाना स्याना, बुलन्दशहर
4. मु0अ0सं0 139/23 धारा 307/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना स्याना, बुलन्दशहर
5. मु0अ0सं0 339/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना स्याना, बुलन्दशहर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार मिश्रा

2.निरीक्षक श्री राजेश यादव

3.उ0नि0 श्री इन्द्रदेव उपाध्याय,

4.उ0नि0 श्री अरुण उपाध्याय,

5.मु0आरक्षी प्रभाकर राय,

6.आरक्षी राजेश कुमार

7. आरक्षी अंकुर कुमार थाना दही

एसओजी टीम-

1.प्रभारी नि0 श्री जय प्रकाश यादव

2.हे0का0 आशीष मिश्रा,

3.हे0का0 सतेन्द्र कुमार,

4.आरक्षी रवी,

5.आरक्षी गौरव चौधरी,
6.आरक्षी विकास भदौरिया,
7.आरक्षी नितीश कुमार,
8.आरक्षी यशवीर सिंह,
9.आरक्षी हरेश बालियान
10.आरक्षी शुभम कुमार

सर्विलांस टीम-

उ0नि0 श्री मुन्ना कुमार
हे0का0 राधेश्याम

प्रेस नोट - दिनांक 12.11.2024

थाना असोहा, जनपद उन्नाव।

गैर इरादतन हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना असोहा पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- थाना असोहा जनपद उन्नाव पर दिनांक 21.10.2024 को वादी श्री प्रेम पुत्र स्व0 लल्लू लौधी निवासी ग्राम उमैदखेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 208/2024 धारा 110/115(2)/352 B.N.S बनाम 01. कन्धई पुत्र स्व0 भोला रावत 2. दीपक पुत्र कन्धई 3. शुभम पुत्र देशराज 4. देशराज पुत्र राजाराम निवासीगण ग्राम उम्मैदखेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत हुआ, मुकदमा उपरोक्त के मजरूब कल्लू पुत्र प्रेमशंकर उपरोक्त की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त को धारा 110 BNS से धारा 105 BNS में तरमीम किया गया। अतः अब उपरोक्त अभियोग की अग्रिम विवेचना धारा 105/115(2)/352 BNS मे विधिक कार्यवाही के दौरान नामित अभियुक्तगण 1. कन्धई पुत्र श्रीराम उम्र लगभग 51 वर्ष 2. शुभम पुत्र देशराज (जन्मतिथि 01.07.2006) उम्र करीब 18 वर्ष नि0गण ग्राम उम्मैदखेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव को आज दिनांक 12.11.2024 को कांथा चौराहा बहद ग्राम कांथा थाना असोहा, उन्नाव से पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01. कन्धई पुत्र श्रीराम उम्र लगभग 51 वर्ष
02. शुभम पुत्र देशराज उम्र 18 वर्ष नि0गण ग्राम उम्मैदखेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

01. उ0नि0 श्री बिनोद कुमार,
02. का0 राहुल कुमार
03. का0 रोहित कुमार।

UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 12.11.2024

थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव ।

10 हजार रुपये का इनामिया वांछित लुटेरा गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा 10 हजार रुपये के पुरुस्कार घोषित वांछित लुटेरे को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनाँक 09.09.2024 को थाना सोहरामऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 258/2024, धारा 309(4) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2),109,61(2)बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट के वांछित एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव द्वारा 10,000/- रु0 के पुरुस्कार घोषित अभियुक्त सुभाष चन्द्र पुत्र रामसहाय निवासी ग्राम झब्बूखेड़ा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष को ऊगू स्टेशन जाने वाले कच्चे मार्ग रेलवे पौध शाला गेट से आज दिनाँक 12.11.2024 को थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व लूटे गये 10-10 रुपये के 50 नये सिक्के बरामद किये गये । अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुभाष चन्द्र पुत्र रामसहाय निवासी ग्राम झब्बूखेड़ा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी

1. एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस
2. 10-10 रुपये के 50 नये सिक्के

अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 258/2024, धारा 309(4),317(2),109,61(2)बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना एफ चौरासी जनपद उन्नाव

2.मु0अ0सं0 265/2024, धारा 303 (2) बीएनएस थाना एफ चौरासी जनपद उन्नाव

3.मु0अ0सं0- 300/2022 धारा 302,201,34 भादवि थाना एफ चौरासी जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. प्र0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार
2. उ0नि0 श्री रवि शंकर मिश्रा
3. हे0का0 अविनाश ओझा
4. का0 देवान्श यादव
5. का0 पुष्पेन्द्र तोमर

UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 12.11.2024

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ।

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.11.2024 को वादी दुर्गेश कुमार पुत्र हरीशंकर ग्राम सरवा थाना अतरौली जनपद हरदोई द्वारा थाना हसनगंज पर तहरीरी सूचना दी गयी कि मेरी बेटी शिवानी उम्र करीब 23 वर्ष का विवाह आठ माह पूर्व रजनीश पुत्र स्व0 सत्यनारायण निवासी कुरौली थाना हसनगंज जनपद उन्नाव से हुआ था। जिसके पश्चात उसके ससुरालीजन द्वारा मेरी बेटी शिवानी के साथ दहेज को लेकर प्रताड़ित व मारपीट की जाती थी , जिससे परेशान होकर दिनांक 10.11.2024 को समय करीब 16.00 बजे मेरी बेटी शिवानी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0 272/2024 धारा 85/80 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 12.11.24 को प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रकान्त मिश्र मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछित अभियुक्त रजनीश पुत्र स्व0 सत्यनारायण नि0 ग्राम कुरौली थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष को ग्राम फरहदपुर रोड के किनारे से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रजनीश पुत्र स्व0 सत्यनारायण नि0 ग्राम कुरौली थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1 प्र0नि0 श्री चन्द्रकान्त मिश्र

2-उ0नि0 श्री उमाकान्त यादव

3.का0 अमन यादव

प्रेस नोट - दिनांक 12.11.2024

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव।

पशु क्रूरता अधिनियम के दो आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.11.24 को प्रभारी निरीक्षक हसनगंज की टीम द्वारा रात्रि गश्त के दौरान थानाक्षेत्र अकबरपुर चौराहे के पास से एक पिकअप सं0 UP32PN1523 जिसमें 4 भैस एक पड़वा ठूस ठूस कर भरे हुए थे। थाना हसनगंज पुलिस द्वार मौके पर रोककर पूछताछ की गई तो गाड़ी का व जानवरो के सम्बन्ध में आरोपी कोई स्पष्ट कागजात नही दिखा सके जिस पर जानवरो को ले जा रहे अभियुक्तगण 1. असरफ अली पुत्र दुल्लू खां निवासी हैदराबाद थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 32 वर्ष 2. अच्छे मिया पुत्र नूरा निवासी तरंव पश्चिम कस्बा आसीवन थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 48 वर्ष को हिरासत पुलिस लेते हुए थाने पर लाकर थाना स्थानीय पर उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0 275/24 धारा 3/11घ पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा पिकअप उपरोक्त को 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज करते हुए भैंसो को कफील पुत्र धुर्रे व अजय पुत्र सलीम निवासी मोहान थाना हसनगंज,उन्नाव के सुपुर्दगी में दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.असरफ अली पुत्र दुल्लू खां निवासी हैदराबाद थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 32 वर्ष

2. अच्छे मिया पुत्र नूरा निवासी तरंव पश्चिम कस्बा आसीवन थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 48 वर्ष

बरामगदी का विवरण

एक अदद पिकअप सं0 UP 32PN1523 जिसमें 4 भैस व 1 पड़वा अवैध रूप से लदे हुए बरामद हुए।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. प्र0नि0 श्री चन्द्रकान्त मिश्र थाना हसनगंज उन्नाव।
2. उ0नि0 श्री बेचन यादव थाना हसनगंज उन्नाव।
3. हे0का0 अजय सिंह थाना हसनगंज उन्नाव।
4. हे0क0 मृत्युंजय थाना हसनगंज उन्नाव ।
5. का0 शाहेआलम थाना हसनगंज उन्नाव